न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00011

राज प्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद निवासी देवनारायण मंदिर के पास कंसुआ कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल, नयापुरा कोटा ।
2. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा, सीएडी सर्किल कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 3 की ओर से

निर्णय दिनांकः 19.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 10.12.2020 एवं डिक्री दिनांक 14.12.2020 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 से 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उम्मेदगंज तहसील लाडपुरा जिला कोटा में सन् 1974 से ही खाता सिवायचक सरकार की खसरा नम्बर 51/837 में से 0.80 हैक्टर भूमि पूर्व में पिताजी के कब्जे में थी उनकी मृत्यु के बाद वादी के कब्जे में चली आ रही है । प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि में गढ्डे करके पाईप लगा कर खुर्द–बुर्द करना चाहते हैं व खेतीबाडी में अडचन कर रहे हैं जबकि वादी उक्त भूमि पर सन् 1974 से काबिज काश्त हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल नहीं करें और वादी के वादग्रस्त आराजी पर शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी ने वादग्रस्त आराजी पर अपने आपको सन् 1974 से काबिज काश्त होना बताया है जबकि उक्त भूमि गैर मुमकिन जंगल के रूप में नामान्तरकरण संख्या 131 के माध्यम से वन विभाग के नाम दर्ज थी । प्रतिवादी क्रम 02 नगर विकास न्यास द्वारा नगर विस्तार कार्यक्रम के तहत उक्त भूमि की मांग की थी जो वन विभाग द्वारा नगर विकास न्यास के नाम दर्ज करवाकर उनको कब्जा संभला दिया था वर्तमान में उक्त भूमि पर प्रतिवादी क्रम 02 की कई आवासीय योजनाएं चल रही हैं । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार किसी भी व्यक्ति /अतिक्रमी को वन विभाग की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते और न ही वन विभाग की भूमि पर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा या निषेधाज्ञा वन विभाग के विरूद्ध जारी की जा सकती है । वादी वादग्रस्त आराजी का न तो मालिक है और न ही काबिज कश्त है । वादी द्वारा 80 सीपीसी के प्रावधानों की भी पूर्ण पालना नहीं की गई है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज फरमाया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.2020 के द्वारा प्रतिवादी क्रम 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2020 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं उनके पूर्वजों का पिछले 65 वर्षों से कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट द्वारा वादग्रस्त आराजी को काबिज काश्त बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय को पर्याप्त साक्ष्य लेकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा पेश किया था जिसमें रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी को स्वीकार कर दावा वाादी खारिज करने में त्रुटि की है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट के पिता पिछले 65 वर्षों से उस पर काबिज थे उसके उपरान्त अपीलान्ट

काबिज काश्त है । उन्होंने 320/– रूपये की रसीद जो तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जारी की गई है वो पेश की है । यह रसीद दिनांक 05.02.1990 की है । एक रसीद सन् 1995 की 723/– रूपये की है । खसरा गिरदावरी की नकल संवत् 2045 और तहसीलदार के द्वारा धारा 91 के जारी किये गये नोटिस की प्रति भी पेश की है । सन् 1997 में जगदीश प्रसाद ने एक प्रार्थना पत्र उप जिला कलक्टर महोदय को आवंटन के लिए लिखा था जिसे आवंटन कमेटी के समक्ष पेश करने के लिए लिखा गया । इससे पूर्व दिनांक 17.07.1990 को एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश कर खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम उम्मेदगंज आवंटन करने का निवेदन किया जिस पर जिला कलक्टर ने यह आदेश पारित किया कि प्रार्थी ने अतिक्रमण कर रखा है लेकिन भूमिहीन है उचित होगा उसे नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे । दिनांक 15.11.1995 को जिला कलक्टर ने पत्रावली उप जिला कलक्टर को जगदीश प्रसाद खटीक के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करने के लिए लिखा । इन समस्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि वादी अपीलान्ट इस आराजी पर लम्बे समय से काबिज काश्त है और आराजी को काबिल काश्त बनाया है । अपीलान्ट के पास जीविकोपार्जन का अन्य कोई साधन नहीं है । अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य हैं और वह आवंटन की पात्रता रखता है । वन अधिकार अधिनियम 2006 में यह व्यवस्था की गई है कि जो व्यक्ति वन भूमि पर 13 दिसम्बर, 2005 से काबिज है उसे बेदखल नहीं किया जा सकता । इस समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2020 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी गैर मु0 जंगल के रूप में नामान्तरकरण संख्या 131 से वन विभाग के नाम दर्ज थी और नगर विकास न्यास द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि की मांग की गई जो नगर विकास न्यास के नाम दर्ज करवा कर कब्जा संभलाया गया है । इसमें नगर विकास न्यास की कई आवासीय योजनाएं चल रही हैं । किसी अतिक्रमी को वन विभाग की भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते और न ही प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.12.2020 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने अपील के साथ कुछ दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की हैं। इन दस्तावेजात में रसीद 320/– रूपये , 723/–रूपये, 500/– रूपये, जिला कलक्टर के पत्र दिनांक 15.11.1995 की फोटो प्रति, खसरा परिवर्तनशील संवत् 2047 की फोटो प्रति, धारा 91 एलआरएक्ट के नोटिस की फोटो प्रति, जगदीश प्रसाद द्वारा उप जिला कलक्टर को लिखे गये आवेदन दिनांक 02.06.1997 की फोटो प्रति, जिला कलक्टर को लिखे गये आवेदन की फोटो प्रति, जगदीश प्रसाद के द्वारा जिला कलक्टर को लिखे गये आवेदन दिनांक 17.07.1990 की फोटो प्रति और जगदीश प्रसाद द्वारा दिनांक 25.07.1990 को एस0पी0 को लिखे गये आवेदन की फोटो प्रति, जिला कलक्टर के द्वारा उप जिला कलक्टर को लिखे गये पत्र दिनांक 15.11.1995 की फोटो प्रति, जगदीश प्रसाद द्वारा जिला कलक्टर को लिखे गये आवेदन दिनांक 02.06.1997 की फोटो प्रति, आय प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश की गई हैं ।

11. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में इन समस्त दस्तावेजात की फोटो प्रतियॉ पेश की गई हैं एंव कुछ अखबार की कटिंग की फोटो प्रतियॉ भी पेश की गई हैं साथ ही ये दस्तावेजात मूल में भी पेश किये गये हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2044–47 पेश की गई है जिसमें वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 51 रकबा 8.36 हैक्टर सरकारी सिवायचक लगानी दर्ज है । बादी के द्वारा कब्जे के आधार पर सरकारी भूमि पर खातेदारी अधिकार घोषणा का दावा पेश किया गया है जिसमें रेस्पोडेन्ट के द्वारा आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी वन विभाग के खाते में दर्ज है और नगर विकास न्यास को अन्तरित की गई है । सरकारी आराजी पर कब्जे के आधार पर हक घोषणा का दावा विधिक रूप से मेन्टेनेबल नहीं है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । इन तथ्यों के आधार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 10.12.2020 एवं डिक्री दिनांक 14.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

19/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2021/00011

राज प्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद निवासी देवनारायण मंदिर के पास कंसुआ कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल, नयापुरा कोटा ।
2. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा, सीएडी सर्किल कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक 10.12.2020 एवं डिक्री दिनांक 14.12.2020 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 206/दावा/2020

राज प्रकाश आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 श्री जगदीश प्रसाद निवासी देवनारायण मंदिर के पास कंसुआ तहसील लाडपुरा कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये सहायक वन संरक्षक वन मण्डल, नयापुरा कोटा ।
2. तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. सचिव, नगर विकास न्यास कोटा, सीएडी सर्किल कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2020 एवं डिक्री दिनांक 14.12.2020 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 19.03.2021 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री मनोज तिवारी एवं रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 10.12.2020 एवं डिक्री दिनांक 14.12.2020 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 19.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

19/3/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा